न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. 13/2024

दामोदर पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बड़ली
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्रा.पं. बड़ली पं.स. भिनाय
3. सरपंच ग्रा.पं. बड़ली पं.स. भिनाय, जिला अजमेर।

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थितः—

1. श्री अनुराग पाण्डेय अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रार्थी के भाई कालूराम जो तीनों सगे भाई है, का पुश्तैनी मकान ग्राम बड़ली में स्थित है जिसमें वे अपने पूर्वजों के समय से निवास कर रहे है। अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 से तथ्य छिपाकर उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा अकेले अपने नाम जारी करवा लिया। पुश्तैनी मकान का पट्टा बिना प्रार्थी एवं अन्य सहहिस्सेदारों की सहमति के अकेले अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी किया गया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थी को उक्त मकान का पट्टा अकेले अपने नाम बनवा लेने बाबत बताया तथा बेदखल करने की धमकी दी कि वह इस मकान को अन्यत्र कहीं भी रहन, बेचान करेगा। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 के कार्यालय में इस संबंध में जानकारी की तथा अविलम्ब यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की तथा विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। अतः याचिका स्वीकार की जाकर प्रार्थी के ग्राम बड़ली स्थित पुश्तैनी मकान का पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 21 दिनांक 02.12.2016 एवं संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.04.2017 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्तुत निगरानी पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पुश्तैनी/पैतृक मकान का पट्टा अकेले स्वयं के नाम बनवाया जिसका उसके आवेदन, मौका रिपोर्ट, समीक्षा एवं शपथ पत्र में उल्लेख है। लेकिन उक्त मकान के सहहिस्सेदारों की सहमति ना तो पंचायत एवं ना ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पट्टा प्राप्त करने से पूर्व ली गई। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित होकर

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

अपना जवाब एवं साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत बड़ली द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 21 दिनांक 02.12.2016 निरस्त किया जावे तथा पंचायत को निर्देशित किया जावे कि समुचित सुनवाई उपरांत ही पट्टा जारी किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हें अधिकतम 300 वर्गगज भूमि का पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी किये जाने का प्रावधान है।" ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा संबंधी रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 मुकेश द्वारा पैतृक मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। वार्ड पंच की जांच रिपोर्ट में उक्त मकान पर अप्रार्थी का ही कब्जा होना बताया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस भी जारी किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में पैतृक होकर हिस्सेदारी जायदाद पर पट्टा हेतु आवेदन किये जाने एवं इस हेतु परिवारजन की सहमति होना अंकित किया है। लेकिन पट्टा प्राप्त करने से पूर्व ऐसा सहमति पत्र अप्रार्थी द्वारा लिया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज/सहमति पत्र अप्रार्थी द्वारा ना तो पत्रावली पर प्रस्तुत किया और ना ही ऐसा सहमति पत्र पंचायत द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली में संलग्न पाया गया। जबकि पैतृक सम्पत्ति का पट्टा सभी हिस्सेदारों के नाम जारी जाना चाहिये अथवा किसी एक हिस्सेदार के नाम जारी करने से पूर्व अन्य हिस्सेदारों से लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिये। लेकिन ऐसा कोई सहमति पत्र ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नहीं लिया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रश्नगत निगरानी में पट्टा जारी करने वाली ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं किया जाना एवं संपूर्ण विधिक प्रावधानों के अनुसार जांच नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत बड़ली द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 21 दिनांक 02.12.2016 को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/25

(चन्द्रशेखर भाण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भाण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी